भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1604
जिसका उत्तर रविवार, 20 सितंबर, 2020 को दिया जाएगा

अनुचित अनुबंधों से संरक्षण

1604. डॉ॰ जयंत कुमार राय:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ॰ सुकान्त मजूमदार:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कंपनियों द्वारा कराए जाने वाले अनुबंध एकपक्षीय होते हैं और इन अनुचित अनुबंधों में उपभोक्ताओं को कोई संरक्षण नहीं मिलता और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन अनुबंधों में सेवा प्रदाताओं और विनिर्माताओं के पक्ष में अनुचित शर्तें रखी जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विधि आयोग ने उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु भारतीय संविदा अधिनियम और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में अतिरिक्त उपबंध रखने का सुझाव दिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) क्या संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अनुचित शर्तों वाले अनुबंधों से उपभोक्ताओं की रक्षा करने में सफल नहीं हुआ है; और
(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): जी, नहीं। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में पक्षकारों को संबंधित वचनों के निष्पादन और निष्पादन की पेशकश करने के दायित्वों का निर्धारण किया गया है जब तक कि अधिनियम के उपबंधों अथवा किसी अन्य विधि के तहत ऐसे निष्पादन की आवश्यकताओं को समाप्त न किया गया हो या छूट न दी गई हो।

(ग) और (घ): भारतीय विधि आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उपभोक्ताओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से, विधि आयोग ने "संविदा की अनुचित शर्तें (प्रक्रियात्मक और सारभूत)' नामक अपनी रिपोर्ट संख्या 199 में यह अनुशंसा की कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के उपबंधों और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के उपबंधों को अक्षुण्ण रखा जाए।

(ङ) और (च): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को हटाते हुए दिनांक 20 जुलाई, 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को लागू किया गया है। जैसा कि नये अधिनियम में प्रावधान किया गया है, "अनुचित

संविदा" से एक ओर विनिर्माता या व्यापारी या सेवा प्रदाता और दूसरी ओर किसी उपभोक्ता के बीच ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसके ऐसे निबंधन हैं, जो ऐसे उपभोक्ता के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्

(i) संविदायी बाध्यताओं के निष्पादन के लिए उपभोक्ता से स्पष्टत: अत्यधिक सुरक्षा जमा की अपेक्षा करते हैं ; या

(ii) संविदा के भंग के लिए उपभोक्ता पर कोई शास्ति अधिरोपित करते हैं, जो कि संविदा में अन्य पक्षकार को ऐसे भंग के कारण उदभूत नुकसान से पूर्णतया अननुपातिक है ; या

(iii) लागू शास्ति के संदाय पर ऋणों के पूर्व पुन: संदाय को स्वीकार करने से इंकार करना ; या

(iv) बिना युक्तियुक्त कारण के ऐसी संविदा में संविदा के पक्ष को एकतरफा रूप से ऐसी संविदा को समाप्त करने के लिए हकदार बनाना ; या

(v) किसी एक पक्ष को संविदा को अन्य पक्षकार, जो उपभोक्ता है, की सहमति के बिना प्रतिकूल रूप से समनुदेशित करने के लिए अनुज्ञात करना या अनुज्ञात करने को प्रभावी करना ; या

(vi) उपभोक्ता पर ऐसे प्रभार, बाध्यता या शर्तें अधिरोपित करना, जो युक्तियुक्त नहीं है तथा ऐसे उपभोक्ता के प्रतिकूल हैं।

******